संख्या-896/2025/2394/22-2-2023-17(689)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 28 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोशन चौहान पुत्र श्री शिवचरन चौहान, निवासी जनपद-वाराणसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19806/प्रो0-3/फार्म-ए/2023/(एम-07-06-2023) दिनांक-15-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोशन चौहान पुत्र श्री शिवचरन चौहान, जो ग्राम-हाजीपुर, थाना-चोलापुर, जनपद-वाराणसी का निवासी है। दिनांक 07-03-2015 को वादिनी लड़की (पीड़िता) आयु 13 वर्ष दिन में 11:00 बजे शौच के लिये बाहर खेत में गयी थी कि पड़ोस के ही रोशन चौहान पुत्र शिवचरण चौहान ने उसकी लड़की के साथ जबरिया खींचकर जबरदस्ती रेप किया। वादिनी के पुत्री के शोर मचाने पर तमाम लोग आ गये तथा प्रतिवादी मौका पाकर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-33/2015, भा0द0वि0 की धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट 2012 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं0-1 वाराणसी के आदेश दिनांक 12.10.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.03.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 00 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 04 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 07-03-2015 को वादिनी लड़की (पीड़िता) आयु 13 वर्ष दिन में 11:00 बजे शौच के लिये बाहर खेत में गयी थी कि पड़ोस के ही रोशन चौहान पुत्र शिवचरन चौहान ने उसकी लड़की के साथ जबरिया खींचकर जबरदस्ती रेप किया। वादिनी के पुत्री के शोर मचाने पर तमाम लोग आ गये तथा प्रतिवादी मौका पाकर भाग गये। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ग्रामीण एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रोशन चौहान पुत्र श्री शिवचरन चौहान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोशन चौहान (बन्दी संख्या-201/2021) पुत्र श्री शिवचरन चौहान, निवासी जनपद-वाराणसी को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-896/2025/2394(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-896/2025/2394/22-2-2023-17(689)/2023

दिनांक: 28 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रोशन चौहान पुत्र श्री शिवचरन चौहान, जो ग्राम-हाजीपुर, थाना-चोलापुर, जनपद-वाराणसी का निवासी है। दिनांक 07-03-2015 को वादिनी लड़की (पीड़िता) आयु 13 वर्ष दिन में 11:00 बजे शौच के लिये बाहर खेत में गयी थी कि पड़ोस के ही रोशन चौहान पुत्र शिवचरण चौहान ने उसकी लड़की के साथ जबरिया खींचकर जबरदस्ती रेप किया। वादिनी के पुत्री के शोर मचाने पर तमाम लोग आ गये तथा प्रतिवादी मौका पाकर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-33/2015, भा0द0वि0 की धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट 2012 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कोर्ट सं0-1 वाराणसी के आदेश दिनांक 12.10.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.03.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 00 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 04 माह, 22 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 07-03-2015 को वादिनी लड़की (पीड़िता) आयु 13 वर्ष दिन में 11:00 बजे शौच के लिये बाहर खेत में गयी थी कि पड़ोस के ही रोशन चौहान पुत्र शिवचरन चौहान ने उसकी लड़की के साथ जबरिया खींचकर जबरदस्ती रेप किया। वादिनी के पुत्री के शोर मचाने पर तमाम लोग आ गये तथा प्रतिवादी मौका पाकर भाग गये। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ग्रामीण एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रोशन चौहान पुत्र श्री शिवचरन चौहान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in